रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062024-255025
CG-DL-E-29062024-255025

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946
No. 331] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2024

सा.का.नि. 354(अ).—केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 150 (अ) तारीख 29 फरवरी, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 29 फरवरी, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27, धारा 41, धारा 109 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (आठवाँ संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में नियम 2 के खंड (iघ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(iङ) **"प्रवर्ग एल2-5"** से तिपहिया मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें दुपहिया-तिपहिया संयोजन मोडयूल है, जिसको इस तरह से निर्मित किया गया है कि एल2 के दुपहिया यान को स्वतः नोदित न होने वाली पार्श्व मोडयूल इकाई के साथ संयोजित कर लिया जाता है, इसे आवश्यकतानुसार पृथक् किया जा सकता है या संयोजित किया जा सकता है :

परंतु किसी भी समय केवल एल2 प्रवर्ग के दुपहिया वाहन या एल5 प्रवर्ग के तिपहिया वाहन का भी उपयोग किया जा सकता है ;

(iच) **"प्रवर्ग एल2 -5एम"** से यात्रियों के वहन के लिए आशयित तकनीकी विशेषताओं के मद्दे एल2 -5 प्रवर्ग का वाहन अभिप्रेत है ;

(iछ) **"प्रवर्ग एल 2 -5 एन"** से माल के वहन के लिए आशयित तकनीकी विशेषताओं के मद्दे एल2 -5 प्रवर्ग का वाहन अभिप्रेत है :

परंतु एल 2 -5 प्रवर्ग का वाहन यात्री वाहक एल 2 -5 एम या एल 2 -5 एन माल वाहक के प्रवर्ग में यात्रियों के भार पर निर्भर करते हुए, जिसके अंतर्गत चालक सम्मिलित है, जिसके लिए बैठने का प्रबंध किया गया है जिनका भार माल वाहक के भार से अधिक या कम है और यह एल 5 प्रवर्ग के वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 14272 : 2011 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगा ।'।

3. मूल नियमों के नियम 50 के उप नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(9) एल 2-5 प्रवर्ग के वाहनों की दशा में दोनों संरचनाओं के लिए एकल रजिस्ट्रीकरण नंबर आबंटित किया जाएगा अर्थात् एल 2 प्रवर्ग के पृथक किए गए दुपहिया वाहन या एल 5 प्रवर्ग के संयोजित तिपहिया यान ; और किसी भी समय संयोजन पर ध्यान न देते हुए यान के आगे और यान के पीछे एक-एक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदर्शित किया जाएगा।

(10) एल 2-5 प्रवर्ग के यानों के लिए विमाएं 200x100मिमी होंगी ।"।

4. मूल नियमों के नियम 122 के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) एल 2-5 प्रवर्ग के वाहनों की दशा में पहचान नंबर, जिसके अंतर्गत निर्माण का मास और वर्ष सम्मिलित है, को उस पर उत्कीर्ण किया जाएगा या कुरेदा जाएगा या पंच किया जाएगा, जो कि समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 177 : 2021 के अनुसार तब तक होगा जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो की तत्स्थानी विशिष्टियों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है ।"।

5. मूल नियमों के नियम 125ढ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"125त : एल 2-5 प्रवर्ग के सभी वाहन समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 177 : 2021 के अनुसार तब तक होंगे जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो की तत्स्थानी विशिष्टियों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है ।"।

[सं. आरटी-11036/104/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणः - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 195(अ), तारीख 14 मार्च, 2024 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2024

G.S.R. 354(E).—WHEREAS, the draft rules to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 150(E), dated the 29th February, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 29th February, 2024;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 27, 41, 109 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2024.

(2) Unless and otherwise specified, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, after clause (id), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ie) **"Category L2-5"** means a three wheeled motor vehicle, with a 2 wheeler-3 wheeler combination module, constructed in such a way that a two-wheeled vehicle of category L2 is combined with a non-self-propelled rear module unit. It can be separated or combined, as and when required:

Provided that at any point of time, either a two-wheeler of Category L2 or a three-wheeled vehicle of Category L5 can only be used;

(if) **"Category L2 – 5 M"** means a category L2-5 vehicle on account of technical features intended to carry passengers;

(ig) **"Category L2 – 5 N"** means a category L2-5 vehicle on account of technical features intended to carry goods:

Provided that category L2-5 vehicle may fall under the category of L2-5M for passenger carrier or L2-5N for goods carriage, depending on the weight of persons including driver for whom seating arrangements are provided is more than or less than the weight of goods carried and this shall be as per conditions specified in IS 14272:2011, as amended from time to time for L5 category of vehicles.'.

3. In rule 50 of the principal rules, after sub-rule (8), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

"(9) In case of L2-5 category of vehicles, a single registration number shall be allotted for both the configurations, namely separated two-wheeled vehicle of L2 category or combined three wheeled vehicles of L5 category; and at any point of time there shall be only one registration mark displayed on the front and one on the rear of the vehicle irrespective of the configuration.

(10) Dimensions for plate for L2-5 category of vehicle shall be 200 X 100 mm.".

4. In rule 122 of the principal rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(4) In case of L2-5 category of vehicles, the identification number including month and year of manufacture, embossed or etched or punched on it shall be in accordance with AIS 177:2021, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standards specification are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).".

5. In the principal rules, after rule 125N, the following rule shall be inserted, namely:-

"125P: All L2-5 Category of vehicles shall conform to the requirements specified in AIS 177:2021, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standards specification are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).".

[No. RT-11036/104/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secretary

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 195(E) dated the 14th March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024-06.29 16:03:03 +05'30'